

संख्या-205cm/33-3-2015-54सीएम/2015

प्रेषक,
एस0पी0 सिंह
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
निदेशक,
पंचायती राज
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ:: दिनांक:: 09 अक्टूबर, 2015

विषय:- शासनादेशों को आन लाइन जारी करने के संबंध में
महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 11.09.2015 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा निर्गत किये जा रहे महत्वपूर्ण शासनादेशों को आन लाइन करके ही निर्गत किया जा रहा है, केवल वही शासनादेश आन लाइन नहीं हो पा रहा है जिनका आलेख्य विभाग द्वारा बनकर शासन को उपलब्ध कराया जाता है।

2- अतः अनुरोध है कि ऐसे शासनादेशों को, जिनका आलेख्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शासन से निर्गत होने के पश्चात आन लाइन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कृपया ऐसे शासनादेशों को आन लाइन किये जाने के पश्चात उसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि वस्तुस्थिति से मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जा सके।
संलग्नक:यथोक्त।

उप निदेशक (पं०) (एस०)

निदेशक
12/10/15

Jaigovind Pandey

(एस० एन० सिंह)
उपनिदेशक (पंचायत)
पंचायती राज, उ०प्र०

भवदीय,

(एस०पी० सिंह)
उप सचिव।

206 CM/33-3/15

कार्यालय
मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश
सचिवालय एनैक्सी, लखनऊ

संख्या

दिनांक

प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग

कृपया संलग्न शासनादेश संख्या-2301/33-1-2015
दिनांक 31 अगस्त, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें।
यह शासनादेश आन लाइन उपलब्ध नहीं है। आप अवगत ही
हैं कि वर्तमान में शासनादेशों को आन लाइन जारी करने की
व्यवस्था है, जिसके अनुरूप कार्यवाही नहीं की गयी है।

कृपया इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित कर
पत्रावली पर अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

संलग्नक:-यथोक्त।

11.09.2015

विशेष सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन।

S.O. प्र. / D.S. (S)
निदेशावली कार्यवाही
कलमें।
8.10.15.
S.S.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी, आजमगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी,
इटावा, फैजाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, मिर्जापुर,
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोण्डा एवं हरदोई
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक: 31 अगस्त, 2015

विषय: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त करने हेतु समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता(सी0एल0टी0एस0) की गतिविधियां संचालित कराने संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत अभियान(ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त किया जाना है। जनपदों द्वारा समुदाय को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने हेतु प्रचार-प्रसार के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां सम्पन्न करायी जा रही हैं। विभिन्न शोचों से ज्ञात हुआ है कि अन्य प्रचार-प्रसार की गतिविधियों के अतिरिक्त समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी0एल0टी0एस0) की गतिविधियों को संचालित किये जाने से जागरूकता पर अनुकूल प्रभाव पडता है।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे के समस्त परिवारों के अतिरिक्त गरीबी रेखा के ऊपर के 05 श्रेणी के लाभार्थियों को प्रोत्साहन की धनराशि प्रदान की जाने की व्यवस्था है। गरीबी रेखा के ऊपर के अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को जागरूक कर स्वयं के संसाधन से शौचालय का निर्माण कराया जाना है। समुदायिक व्यवहार परिवर्तन हेतु समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी0एल0टी0एस0) गतिविधि करायी जाये, जिससे समुदाय द्वारा स्वयं से शौचालय का निर्माण कर उपयोग करना तथा अनुदान प्राप्त लाभार्थियों का भी व्यवहार परिवर्तन करते हुए शौचालय का उपयोग सुनिश्चित कराया जा सके।

उक्त क्रम प्रथम चरण में 12 जनपद आजमगढ़, बलरामपुर, बाराबंकी, इटावा, फैजाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोण्डा एवं हरदोई जनपदों के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम 05 ग्राम पंचायतों में यह गतिविधि की जायेगी।

उक्त गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त 12 जनपदों के जिलाधिकारियों को आपकी ओर से भेजे जाने वाले पत्र का आलेख तैयार किया गया है। जनपद स्तर पर एक टीम का गठन कर उसे समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता पर विधिवत प्रशिक्षित किया जाये। ग्राम पंचायतों में गतिविधि सम्पादित

Jaigovind Pandey

(एस0 इन0
उपनिदेशक (पंचायतीराज, उ०प्र०)

2947

उपनिदेशक (प्रशासन)

उपनिदेशक
119115DPC(S)/
-21/4/
2उपनिदेशक
2/11/15

आदि को सम्मिलित किया जाये। इस प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड के लिए कम से कम 03 व्यक्तियों का एक समूह सृजित किया जाये। यह कार्य जिला स्वच्छता समिति द्वारा पूरी सावधानी से किया जाये क्योंकि समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता (सी०एल०टी०एस०) समूह के सामूहिक प्रयास से ही ग्राम पंचायतों में व्यवहार परिवर्तन का कार्य करायेगी जो इस पूरे कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु होगा। इस प्रकार विकास खण्डों की संख्या के आधार पर जनपद के जिला परियोजना समन्वयकों के साथ एक जनपद स्तरीय टीम तैयार होगी। खण्ड प्रेरक के अतिरिक्त सम्बंधित विकास खण्ड के चयनित 02 व्यक्तियों को मानदेय के रूप में स्व प्रेरणा से निर्मित हो रहे शौचालयों की संख्या के आधार पर प्रति शौचालय रु. 200/- का भुगतान आई०ई०सी० मद से किया जायेगा।

उपरोक्त जनपद स्तरीय टीम के प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्तमान में विभिन्न प्रदेशों में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता गतिविधि पर कार्य कर रहे संदर्भदाताओं को आमंत्रित किया जायेगा। जिला स्वच्छता समिति अपनी सुविधानुसार अपने स्तर से संदर्भदाताओं से वार्ता कर उन्हें आमंत्रित कर सकती है एवं संदर्भदाताओं का मानदेय, यात्रा भत्ता इत्यादि के सम्बंध में जिला स्वच्छता समिति स्वयं निर्णय लेगी। सुलभ संदर्भ हेतु जिला स्वच्छता समिति इस क्षेत्र में कार्य कर रही निम्न संस्थाओं/संदर्भदाताओं से भी वार्ताकर अपने जनपद की प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार कर सकती है।

1. डा० कमलकार, सी०एल०टी०एस० फाउन्डेशन कोलकता -03340651168।
2. श्री निशीत कुमार, नालेज लिंक गाजियाबाद -09810514693।
3. श्री जे०पी० शुक्ला, नालेज लिंक गाजियाबाद -09810540448।
4. श्री अजय सिन्हा, फ्रीडवैक बैचर्स दिल्ली -01244169100, 01128035884।
5. श्री विनोद कुमार मिश्रा, डब्लू०एस०एस०सी०सी० -09411107760।

प्रशिक्षण में हाने वाले समस्त व्यय को स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के आई०ई०सी० के प्रशिक्षण मद में प्राविधानित धनराशि से किया जाये। वर्तमान में मण्डलों में कार्यरत मण्डलीय समन्वयकों को निम्नवत जनपदों में टीम गठन, प्रशिक्षण, ग्राम पंचायतों का चयन एवं ग्राम पंचायतों में ट्रिगरिंग कराने में सहयोग प्रदान करने हेतु नामित किया जाता है।

- श्री सुशील कुमार पाण्डेय - आजमगढ़ एवं मिर्जापुर।
- श्री ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी - बलरामपुर एवं गोण्डा।
- डा० राजेश शुक्ला - मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर।
- श्री मनोज कुमार शुक्ला - हरदोई, बाराबंकी एवं फैजाबाद।
- श्री संजय कुमार शुक्ला - कानपुर नगर, इटावा, एवं कन्नौज।

उक्त के अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर कार्यरत राज्य समन्वयक प्रशिक्षण प्राप्त कर निरन्तर अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे तथा उक्त जनपदों में समुदाय संचालित सम्पूर्ण स्वच्छता की गतिविधियां ग्राम पंचायतों में सम्पन्न करायेगे। उपरोक्त समन्वयकों के भ्रमण हेतु आवश्यक वाहन एवं टहरने

की व्यवस्था निदेशालय में उपलब्ध प्रशासनिक मद में उपलब्ध धनराशि के द्वारा की जायेगी। राज्य समन्वयकों को निम्नवत जनपदों का दायित्व प्रदान किया जाता है।

- श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह - कानपुर नगर, इटावा, हरदोई, एवं कन्नौज,
- श्री सन्तोष कुमार सिंह - बाराबंकी, फैजाबाद, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर
- श्री वकील अहमद - बलरामपुर, गोण्डा, आजमगढ़ एवं मिर्जापुर

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित तिथि की सूचना तथा विकास खण्डवार प्रतिभागियों के नाम प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों की सूची 08 सितम्बर 2015 तक पंचायतीराज निदेशालय को उपलब्ध कराये जिससे राज्य एवं मण्डल स्तर पर कार्यरत समन्वयकों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जा सके। प्रत्येक दशा में जनपद स्तरीय प्रशिक्षण 15 सितम्बर तक सम्पन्न कराया जाये।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2301 (1)/33-3-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2-स्टाफ अफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3-सम्बंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 4-निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०।
- 5-सम्बंधित मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
- 6-सम्बंधित मण्डलीय उपनिदेशक(प०), उ०प्र०।
- 7-सम्बंधित जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ कि प्रत्येक दशा में प्रशिक्षण समय से कराना सुनिश्चित करें।।

आज्ञा से,

31.8.

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।